रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 8 सितम्बर, 2004/17 भाद्रपद, 1926

हिमाचल प्रदेश दसवीं विधान सभा

कार्यालय उपायुक्त, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 3 सितम्बर, 2004

संख्या बी० एल० पी०-पंच-6-16/79-III-4073-89.—क्योंकि श्रीमती सरस्वती देवी, निवासी गांव खाल, डा० सलोआ, जिला बिलासपुर, जो विकास खण्ड सदर की ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं० 4 से पंच के पद पर निर्वाचित घोषित हुई थी, ने घरेलू परिस्थितियों के कारण दिनांक 4-3-2004 से ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं० 4 से पंच पद से त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, सदर के पत्र संख्या 435, दिनांक 19-5-2004 के अन्तर्गत की गई तथा यह त्याग-पत्र, जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अधिसूचना संख्या 3916-22, दिनांक 10-8-2004 के अन्तर्गत स्वीकृत करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड पंच का पद दिनांक 4-3-2004 से रिक्त हो गया है।

1407-राजपत्र/2004-8-9-2004—1,428. मूल्य : 1 रुपया।

अतः मैं, सुभाषीश पांडा (भा० प० से०) उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) तथा (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जिला के विकास खण्ड सदर की ग्राम पंचायत सलोआ के वार्ड नं०-4 के पंच का पद दिनांक 4-3-2004 से रिक्त घोषित करता हूं।

सुभाषीश पांडा,
उपायुक्त,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 31 अगस्त 2004

सं० पी० सी० एच०-के० जी० आर०-ई० (9) 38/2001-4380-84.—श्री सुखिया राम, पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरिया ने शिकायत की थी कि श्री सुशील कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़ ने सरकारी भूमि स्थित खसरा नं० 1885/2 व खसरा नं० 1806, रकबा 8-01-42 हैक्टेयर मौजा कुठेहड़ पर कब्जा करके दुकानें बनाई हैं इस मामले की जांच उप-मण्डलाधिकारी (ना०), ज्वाली द्वारा तहसीलदार ज्वाली के माध्यम से करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने अपने कार्यालय क्रम संख्या 746, दिनांक 25-06-2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिसके अनुसार खसरा नं० 1805/2 व खसरा नं० 1806 रकबा 8-01-42 हैक्टेयर मौजा कुठेहड़ पर सुशील कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़ के कब्जे की पुष्टि की गई है जिसके अतिरिक्त आपने उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जे के नियमितिकरण के लिए शपथ-पत्र भी दायर किया है।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (सी०) के अनुसार श्री सुशील कुमार प्रधान, ग्राम पंचायत कुठेहड़, विकास खण्ड नगरोटा सूरिया प्रधान पद पर बने रहने के अयोग्य हो चुके हैं।

अतः आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा, 131(1) क के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उपरोक्त अधिनियम की धारा 122(1)(सी०) के अधीन आपको प्रधान पद ग्राम पंचायत कुठेहड़ के पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये, आपका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, नगरोटा सूरिया के माध्यम से 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहते अपितु आपको आरोप स्वीकार है तथा मामले में एक तरफा कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।

श्रीकान्त वाल्दी,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SHIMLA DISTRICT, SHIMLA (H. P.)

NOTIFICATION

Shimla-1, *the* 31*st August*, 2004

No. SML-Reader ADM (716) 94-5000-08.—Whereas the Director Transport, Himachal Pradesh Shimla has informed that the pre paid taxi system is going to be started in Shimla

Town shortly. He has also suggested the places for parking of pre-paid taxis in Shimla town in order to start the said system;

And whereas, I am of the opinion that in the interest of public convenience and safety it is necessary to earmark/notify parking places in Shimla town to start the pre-paid taxi system.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in me under section 117 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with Rule 196 of the Motor Vehicles Rules, I, S. K. B. S. Negi, District Magistrate, Shimla hereby order that the following places in Shimla town shall be used as Parking places for pre-paid taxis:—

1.	Bus Stand	3 Taxis
2.	Victory Tunnel	2 -do-
3.	Railway Station	3 -do-

These order shall come into force with immediate effect.

S. K. B. S. NEGI,
District Magistrate, Shimla.

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 26 जुलाई, 2004

संख्या एस0 एल0 एन0-XII-106 (पंच)/73-5110-17. —यह कि ग्राम पंचायत बखालग, की दिनांक 6-4-2004 की बैठक जो उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव संख्या 2 में पारित किया गया था कि प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, श्री गीता राम, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की निम्नलिखित बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे पंचायत का कार्य प्रभावित हुआ है :—

1. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 8-3-2004
2. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26-3-2004
3. ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 6-4-2004
4. ग्राम सभा की बैठक दिनांक 4-4-2004

प्रधान के उपरोक्त बैठक में अनुपस्थित रहने की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार, द्वारा पंचायत रिकार्ड से करवाई गई और आरोप उनके रिपोर्ट अनुसार सही पाए गए थे ।

इस सन्दर्भ में प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, को इस कार्यालय से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाने बारे "कारण बताओ नोटिस" जारी किया गया था ।

प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, से कारण बताओ नोटिस, का उत्तर इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है । उत्तर में प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, द्वारा ग्राम पंचायत बखालग की उपरोक्त बैठक दिनांक 8-3-2004 व 26-3-2004 के सम्बन्ध में अनुपस्थित रहने का कारण अपनी अस्वस्थता बताया है । जिसकी मौखिक सूचना उनके उत्तर अनुसार पंचायत सहायक को दे दी गई बतलाई है और दिनांक 4-4-2004 की ग्राम सभा

की बैठक के सम्बन्ध में भी प्रधान ने अपने जवाब में दर्शाया है कि इसकी मौखिक सूचना भी उप-प्रधान को दी गई थी ।

परन्तु यह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) के अन्तिम पैरा में दिया गया है कि जहां पदाधिकारी ने पंचायत को खण्ड (ख) के अधीन अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन दिया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, आवेदन पर अपने विनिश्चय को आवेदक को सूचित करने में असफल रहती है, वहां पंचायत द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया समझा जाएगा :

परन्तु प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग, के उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस में उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग द्वारा ग्राम पंचायत को कोई आवेदन नहीं दिया गया था । क्योंकि उनके उत्तर अनुसार उन्होंने केवल मात्र मौखिक सूचना दी गई बताई है, जोकि अधिनियम की उपरोक्त धारा 131 (1) (ख) की परिधि में नहीं है । इस प्रकार ग्राम पंचायत बखालग, का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है ।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) में प्राप्त है, प्रधान, ग्राम पंचायत बखालग का पद रिक्त घोषित करता हूं और श्री गीता राम को आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत बखालग, की कोई चल-अचल सम्पत्ति हो तो, उसे तत्काल सचिव, ग्राम पंचायत बखालग के पास जमा कर दें ।

राजेश कुमार,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित